B.A. History Hon's, Part-II

Paper: IV, Unit: III (b), Date: 17.8.2020 Lecture No:- 21

Lession: बर्मा में राष्ट्रीय आन्दोलन

20वीं शताब्दी के शुभआरम्भ में बर्मा में राष्ट्रीय जागरण आया 1904-5 के रूस-जापान युद्ध ने इसे काफी प्रभावित किया। साथ ही अँग्रेजी शिक्षा के प्रचार ने इसे काफी प्रोत्साहन दिया। किन्तु प्रथम विश्वयुद्ध तक इसमें कोई गति नहीं आई। प्रथम विश्वयुद्ध ने अन्य देश-भक्ति और राजनीतिक दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की तरह बर्मा को काफी प्रभावित किया। यहाँ के लोगों में देशभक्ति और राजनीतिक जागरूकता की लहर आई। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता की माँग करने लगे। 1919 में जब ब्रिटिश सरकार ने मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू करने में आनाकानी की तो यहाँ के लोगों ने आन्दोलन छेड़ दिया। 1921 में बर्मा को न केवल ब्रिटिश भारत के प्रान्तों की तरह बनाया गया, बल्कि उसे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। वे पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। बुद्धिजीवी और मध्यमवर्गी राष्ट्रीय आन्दोलन के मुख्य नेता थे। राष्ट्रीय आन्दोलन मुख्यतः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शुरू किया गया था। 1930 तक वहाँ देशी पूँजी का 30 प्रतिशत भाग भारतीय प्रवासियों के हाथ था। निचले बर्मा की घाटियों में चावल की काफी खेती होती थी। उसके एक निर्दिष्ट भाग पर चेटियारों का अधिकार था। चेटियार मद्रास महाप्रान्त के सेठ साहूकार थे। 1931 में बर्मा की समस्या पर विचार करने के लिए लन्दन में एक विशेष गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को भारत से अलग करने का आश्वासन दिया।

1929-30 के आर्थिक संकट से बर्मा में तबाही मची हुई थी। इसी समय 1930 में वहाँ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भीषण किसान-विद्रोह हुआ। एक बौद्ध पुरोहित साया सान ने इसका नेतृत्व किया। 1935 अधिनियम द्वारा उसे अधिराज्य का दर्जा देने का निश्चय किया। इसी समय युवक बर्मी राष्ट्रवादियों ने समाजवादी दोबामा समाज की स्थापना की। दोबामा दल व थाकिन दल में छात्र, मजदूर, किसान आदि थे। बर्मा के राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेताओं में आंग सान, बामो, यू सॉ, थाकिन नु आदि थे। 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और 1937 में उसे सीमित स्वायत्तता भी दी गई। 1938 में बर्मा में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार-आन्दोलन चल पड़ा। 1939 में नए संविधान के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल के नेता बामो ने जापान से एक गुप्त समझौता कर लिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध-काल में जापानियों ने बर्मा पर अधिकार कर लिया। बर्मा के अनेक देशभक्तों ने जापानी आधिपत्य का स्वागत किया और जापानियों को अपना पूर्ण सहयोग दिया। अगस्त, 1942 में जापानी सैनिक शासन ने बर्मा की स्वतंत्रता को मान लिया। जापानियों ने बर्मा में एक स्वतंत्र बर्मा सरकार का संगठन किया जिसका नेता डॉ॰ बामो को बनाया गया। बामो की सरकार जापानियों की कठपुतली सरकार थी। अतः बर्मा के ऐसे राष्ट्रवादियों का एक गुट का नेता जनरल आंग सान था। यह गुट फासिस्ट-विरोधी जन-स्वातंत्र्य संघ कहा जाता था। इस दल का उद्देश्य बर्मा को जापानी प्रभुत्व से मुक्त करना था और वहाँ एक स्वतंत्र बर्मा सरकार की स्थापना करना था। जनवरी 1945, में मित्र राज्यों की सेनाओं ने पुनः बर्मा पर आक्रमण किया और अल्पकाल में उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।

बर्मा पर पुनः ब्रिटेन का अधिकार हो गया। मई, 1945 में इसने एक योजना प्रकाशित की जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं-

a. बर्मा की वही स्थिति रहेगी जो जापान के आक्रमण के पूर्व 1941 में थी। वहाँ के शासन का प्रधान ब्रिटिश गवर्नर होता था।

b. बर्मा के शासन के लिए 1935 का विधान लागू किया जाएगा। इस संविधान के अनुसार व्यवस्थापिका सभा का निर्वाचन होगा और मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा।

c. अंततोगत्वा बर्मा में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की जाएगी।

ब्रिटिश सरकार की इस योजना से बर्मा के राष्ट्रवादी नेता खुश न थे। आंग सेन और उनके समर्थकों ने ब्रिटिश नीति का विरोध करना शुरु कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भी दमन-चक्र तेज कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भीड़ में गोली भी चलाई इससे जनता का क्रोध और भी बढ़ गया। अतः ब्रिटिश गवर्नर सर ह्यूबर्ट रेंस बर्मी नेताओं से समझौता करने के लिए तैयार हो गया। अक्टूबर, 1946 में जनरल आंग सान परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अतः 20 दिसम्बर 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि बर्मा को यथासंभव तेजी और सुविधाजनक रीति से स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। जनवरी, 1947 में लंदन में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को 1945 के श्वेत पत्र और राष्ट्रवादियों के स्वतंत्रता लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना था। जनवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार और आंग सान के बीच एक समझौता हो गया, जिसके द्वारा-

a. बर्मा का शासन-विधान तैयार करने के लिए एक संविधान-परिषद का निर्वाचन किया जाए।

b. जब तक संविधान का निर्माण न हो जाए, तब तक शासन के लिए एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाए।

c. एक व्यवस्थापिका सभा का गठन किया जाए जिसके सदस्यों की संख्या एक सौ अस्सी हो। d. इस समय में बर्मा का एक उच्चायुक्त लन्दन में रहे जो बर्मा के हितों का ध्यान रखे। e. संयुक्त राष्ट्रसंघ में बर्मा एक उपयुक्त सदस्य के रूप में शामिल हो सके। इसके लिए ब्रिटिश सरकार उसकी मदद करेगी।

f. बर्मा को यह अधिकार हो कि वह अन्य देशों के साथ अपना सीधा राजनयिक संबंध स्थापित कर सके।

g. सीमा क्षेत्रों के प्रबंध की समस्या पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए जो उन क्षेत्रों को बर्मा के संघ में शामिल करने की सिफारिश करे।

इस सम्मेलन को पैनलांग सम्मेलन (फरवरी 1947) कहते हैं। अप्रैल, 1947 में बर्मा की संविधान परिषद के लिए निर्वाचन किया गया जिसमें फासिस्ट विरोधी पीपुल्स लीग को आशातीत सफलता मिली। 19 जुलाई 1947 को कुछ हत्यारों ने आंग सान और कार्यकारिणी परिषद के छः सदस्यों की हत्या कर दी। 17 अक्टूबर 1947 को बर्मा और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हो गया और ब्रिटेन ने बर्मा को नए संविधान की मान्यता दे दी। जनवरी, 1948 में नया संविधान लागू हो गया और बर्मा एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया।

डा० शंकर जय किशन चौधरी
अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग
डी० बी० कालेज, जयनगर